भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *130

04 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

खाद्यान्न खरीद और वितरण

***130. श्री अरुण भारती:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम ने देश में खाद्यान्न खरीद और वितरण से संबंधित दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला में बर्बादी, लीकेज और चोरी को कम करने के लिए इस समझौता ज्ञापन के तहत शुरू किए जा रहे विशिष्ट तंत्रों का ब्यौरा क्या है तथा लक्ष्य/उद्देश्य किस प्रकार से हासिल किया जाएगा;

(ग) खाद्यान्न खरीद और वितरण में पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार की इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को लागू करने में राज्य-स्तरीय हितधारकों और स्थानीय निकायों को किस प्रकार शामिल करने की योजना है; और

(ड.) सरकार द्वारा इस समझौता ज्ञापन से अंतिम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ, विशेषत: खाद्य भोजन की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ड.) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 04.12.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. *130 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): जी हां, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग मंत्रालय के बीच दिनांक 13.09.2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख): महत्वपूर्ण प्रचालन मापदंडों के निष्पादन की निगरानी और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के आशय से समझौता ज्ञापन (एमओयू) में निम्नानुसार मापदंड शामिल किए गए हैं:

1. खरीद (गेहूं और चावल)।
2. बिक्री (केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न भंडारण मानदंडों से अधिक स्टॉक का परिसमापन)।
3. भंडारण (भंडारण क्षमता उपयोगिता- स्वयं के/किराए पर)।
4. हैंडलिंग और परिवहन लागत (हैंडलिंग लागत-संविदागत श्रम, परिवहन लागत)।
5. संचलन (रेलवे के फ्री टाइम में रेक जारी करने का निष्पादन- पिछले पांच वर्षों के औसत में प्रतिशत सुधार)।
6. प्रचालन हानि (भंडारण और पारगमन)।
7. प्रशिक्षण और क्षमता विकास
8. राजकोष प्रबंधन (अल्पकालिक उधारी अर्थात एसटीएल और सीसीएल पर कुल ब्याज लागत)।
9. आधुनिकीकरण-री-इंजीनियरिंग, डिजिटलीकरण, कार्य-विस्तार स्वचालन आदि।

(क) एफसीआई के लॉरी वेब्रिज (एलडब्ल्यूबी) का डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डीओएस) के साथ एकीकरण।

(ख) एफसीआई प्रयोगशालाओं (क्यूएमएस) का एकीकरण।

(ग) डिपो दक्षता मानदंड (प्रत्येक तिमाही के लिए छह डिपो-वार प्रचालन दक्षता मानदंडों को कैप्चर, अकाउंट और मॉनिटर करना)।

10. सुरक्षा (डिपो, जहां आईपी-आधारित सीसीटीवी कैमरे के साथ आधुनिक निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी)।

(ग): देश में खाद्यान्न खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखने के लिए निम्नानुसार कदम उठाए गए हैं:

(i) अनुमानित उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और भंडारण तथा परिवहन आदि जैसी अन्य लॉजिस्टिक/बुनियादी अवसंरचना की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार एजेंसियों/एफसीआई द्वारा खरीद केंद्र खोले जाते हैं। किसानों की सुविधा के लिए मौजूदा मंडियों और डिपुओं/गोदामों के अलावा प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

...2/-

(ii) एमएसपी प्रचालन की पहुंच बढ़ाने के लिए, राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों/पंचायतों/प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) को शामिल करने का प्रावधान किया गया है ताकि अधिकतम किसान मूल्य समर्थन प्रचालन का लाभ उठा सकें।

(iii) किसानों को गुणवत्ता विनिर्देशों और खरीद प्रणाली आदि के बारे में जागरूक किया जाता है ताकि उन्हें अपनी उपज को विनिर्देशों के अनुरूप लाने में सुविधा हो।

(iv) एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है।

(v) एफसीआई और सभी खरीद करने वाले राज्यों ने अपनी स्वयं की ऑनलाइन खरीद प्रणाली विकसित की है ताकि उचित पंजीकरण और वास्तविक खरीद की निगरानी के माध्यम से किसानों के लिए पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

(vi) किसानों को खरीद एजेंसियों द्वारा लगाए गए ई-खरीद मॉड्यूल के माध्यम से घोषित एमएसपी, निकटतम खरीद केंद्र, किस तारीख को किसान को अपनी उपज खरीद केंद्र पर लानी है आदि के बारे में नवीनतम/अद्यतन जानकारी मिलती है। इससे किसानों को सुगमतापूर्वक मंडी/खरीद केंद्रों में स्टॉक की सुपुर्दगी करने में सुविधा होती है।

(vii) भारत सरकार ने सभी खरीद करने वाले राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम थ्रेशहोल्ड मानदंड (एमटीपी) लागू किए हैं, ताकि एक एप्लिकेशन पारिस्थितिकी-तंत्र का विकास किया जा सके, जिसमें निगरानी और कार्यनीतिक निर्णय लेने तथा एकरूपता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम थ्रेशहोल्ड मानदंडों के साथ सभी राज्य खरीद पोर्टलों को एकीकृत करके खरीद के संबंध में अपेक्षित जानकारी दी जा सके। यह जानकारी एकल स्रोत पर उपलब्ध है। न्यूनतम थ्रेशहोल्ड मानदंडों (एमटीपी) में आधार सीडिंग के साथ किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण, भूमि अभिलेखों का एकीकरण, डिजिटल मंडी प्रचालन, किसानों को एमएसपी का अंतरण, चावल/गेहूं वितरण प्रबंधन, और बिलों का स्वचालित सृजन आदि शामिल हैं।

(घ): भारत सरकार और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) उन मापदंडों को रेखांकित करता है, जिनके आधार पर एफसीआई के निष्पादन का मूल्यांकन उनकी उपलब्धियों अर्थात वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। इन निष्पादन मापदंडों के कार्यान्वयन में राज्य स्तरीय हितधारक और स्थानीय निकाय शामिल होते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रचालन की पहुंच का विस्तार करने के लिए राज्य खरीद एजेंसियां सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, पंचायतों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) को शामिल कर रही हैं ताकि किसानों की भागीदारी को अधिकतम किया जा सके। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी का भुगतान सीधे तौर पर किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाता है।

....3/-

(ङ.): खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत स्थापित भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) किसानों को सहायता प्रदान करने और मूल्यों को स्थिर रखने के लिए खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण तथा वितरण सुनिश्चित करता है। समझौता ज्ञापन में लागत-प्रभावशीलता तथा जवाबदेही में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रचालन को सुव्यवस्थित करना, समय पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करना तथा अंतिम छोर तक के उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करना है। एफसीआई और खरीद करने वाले राज्यों ने कुशल पंजीकरण तथा निगरानी के लिए ऑनलाइन खरीद प्रणाली विकसित की है। ये प्रणालियां किसानों को एमएसपी, नजदीकी खरीद केंद्रों और निर्धारित सुपुर्दगी तिथियों के बारे में वास्तविक (रियल टाइम) जानकारी प्रदान करती हैं, जिससे मंडियों या खरीद केंद्रों पर सुचारू और सुविधाजनक स्टॉक सुपुर्दगी संभव हो पाती है।

यह समझौता ज्ञापन भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) प्रचालनों में बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के उच्चतम प्राधिकारियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के निष्पादन के साथ-साथ लक्ष्यों की निगरानी के लिए आंतरिक तंत्र है।

*****